राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 747/2013/बाड़मेर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, बाड़मेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स खत्री इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, बाड़मेर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 748/2013/बाड़मेर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, बाड़मेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भगवानदास देवनदास, बाड़मेर. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 749/2013/बाड़मेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बाड़मेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बजरंग इलेक्ट्रिकल सर्विस, बाड़मेर. .....प्रत्यर्थी.

4. अपील संख्या – 750/2013/बाड़मेर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, बाड़मेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स, बाड़मेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/01/2014

निर्णय

ये चारों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 10, 11, 8 व 28/आरवेट/बीएमआर/12–13 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 27.11.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है। इन चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम/द्वितीय, वृत—बाड़मेर (जिन्हें आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2009—10 के वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थीगण द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों के पेटे URD (अपंजीकृत) खरीद कम दर्शाया जाना अवधारित करते हुए कार्यों की प्रकृति के अनुसार अपंजीकृत खरीद बढ़ाते हुए तदनुसार करारोपण किया गया तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से/प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश दि0	बढ़ाई गई URD खरीद	URD खरीद पर आरोपित कर	शास्ति u/s 58
747/13	13.02.2012	7,00,000	78,000	23,400
748/13	13.02.2012	7,00,000	58,000	17,400
749/13	13.02.2012	12,00,000	88,000	26,400
750/13	27.01.2012	3,00,000	24,000	25,947

कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने पृथक—पृथक पारित किये गये अपीलीय आदेश दिनांक 27.11.2012 से व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित कर व शास्ति अपास्त किये गये। उक्त अपीलीय आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की है। उनका कथन है कि सभी प्रकरणों में प्रत्यर्थीगण ठेकेदारों द्वारा खरीद के बिल प्रस्तुत नहीं किये गये थे तथा वक्त सुनवाई प्रत्यर्थीगण के प्रतिनिधि के साथ आपसी सहमति से अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद पर करारोपण किया गया था। इस आशय के हस्ताक्षर पत्रावलियों की आदेशिकाओं पर उपलब्ध हैं, फिर भी अपीलीय अधिकारी ने करारोपण को अपास्त कर भूल की है।

अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने त्रैमासिक बिक्री विवरण पत्र के लिये आरोपित शास्ति को भी अपास्त कर विधिक त्रुटि की है। जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा विवरण पत्रों के साथ कर योग्य विक्रय के स्थान पर करमुक्त विक्रय बताया है। इसलिए प्रस्तुत विवरण पत्र विधिक रूप से शून्य हैं।

लगातार.....3

उक्त आधारों पर सभी अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री पी. एम. चौपड़ा ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद अनुमानित करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था तथा किन ठेकों में अधिक माल प्रयुक्त किया गया था, यह भी स्पष्ट नहीं किया था। तर्क के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देकर कथन किया कि कर योग्य खरीद बिना कारण नहीं बढ़ाई जा सकती, न ही विशिष्ट नोटिस के अभाव में करारोपण किया जा सकता है।

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थीगण को वर्ष 2009—10 के लिये विवरण पत्रों की अंतिम तिथि 30.9.2011 से पूर्व सभी प्रकरणों में विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे, फिर भी अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्तियां आरोपित की गई है। विवरण पत्रों के देरी/पेश नहीं करने के लिये भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। बिना विशिष्ट नोटिस के धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। तर्क के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **33 टैक्स अपडेट 80 (खण्डपीठ) 33 टैक्स अपडेट 240 व 4 वेट रिपोर्टर 194** का हवाला दिया है।

यह भी कथन किया कि ठेकेदार मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आने के कारण त्रैमासिक विवरण पत्रों के लिये बिना नोटिस शास्तियां आरोपित की गई है। तर्क के समर्थन में **12 टैक्स अपडेट 25 व 16 टैक्स अपडेट 138** उद्धरित कर कथन किया कि अधिकतम शास्ति रूपये 500/— आरोपित की जा सकती है। उक्त आधारों पर अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी प्रकरणों में वर्ष 2009—10 के कर निर्धारण अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये हैं। कर निर्धारण हेतु रेकॉर्ड प्रस्तुतीकरण हेतु नोटिस जारी किये गये हैं, लेकिन कर योग्य खरीद बढ़ाये जाने हेतु न तो कोई नोटिस जारी किया गया है, न ही आदेशिकाओं में प्रस्तावित किया गया है तथा न ही अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की सहमति होने सम्बन्धी टिप्पणी अंकित है। कर निर्धारण आदेशों में केवल कार्य की प्रकृति देखते हुए अपंजीकृत खरीद बढ़ाई गई है। संविदा कार्यों के 'जी' शिड्यूल के आधार पर प्रयुक्त होने वाले माल की मात्रा का कोई आंकलन नहीं किया गया है। कर बोर्ड का यह निश्चित मत रहा है कि ठेका कार्यों में अनुमान के आधार पर कर योग्य खरीद बढ़ाया जाना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

लगातार.....4

जहां तक वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का प्रश्न है, पत्रावलियों पर विवरण पत्र दिनांक 30.9.2011 से पूर्व प्रस्तुत पाये गये हैं। इस प्रकार विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत होना सत्यापित नहीं होता है। स्व कर निर्धारण योजना के तहत दिनांक 30.9.2011 से पूर्व विवरण पत्र प्रस्तुत करने पर विवरण पत्र देरी के लिये राज्य सरकार द्वारा शास्ति माफ की गई है। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने शास्ति अपास्त कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

उक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश विधिसम्मत होने के कारण उसकी पुष्टि की जाती है तथा विभागीय अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
23/01/14